

केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), कोरबा Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology (CIPET), Korba



सिपेट / कोरबा / प्रशासनिक / एंटि रैगिंग स्क्वॉड / CIPET/KORBA/ADMIN/ Anti Ragging Squad/

दिनांक: 04.05.2024

Date: 04.05.2024

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

विषय: सिपेट, कौरबा में एंटि रैगिंग स्क्वॉड समिति का गठन करने संबंध में । Subject: Constitution of Anti Ragging Squad at CIPET, Korba- reg.

- संदर्भ:- 1. एआईसीटीई अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक 2024-25 /AICTE Approval Process Handbook 2024-25
 - 2. सिपेट/एच.ओ./एकेड/एआईसीटीई-कौम/2023-24/दिनांक25/07/23/CIPET-HO/Acad/AICTE-Comm./2023-24 Dated 25/07/23.
 - 3. रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध की परिशिष्ट 12 /Appendix 12 on Prevention and Prohibition of Ragging.

एआईसीटीई द्वारा रैगिंग के निषेध और रोकथाम के लिए बनाये गये एवं भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए, कॉलेज और छात्रावास परिसर में औंचक निरीक्षण के लिए एक एंटि रैगिंग स्क्वॉड का गठन किया गया है। In order to implement the AICTE regulation for prohibition and prevention of Ragging and to implement the orders of Hon'ble Supreme Court of India on subject, an Anti-Ragging Squad has also been formed to keep on conducting surprise raids in college and hostel compound to discourage students from Ragging activities.

एंटि रैगिंग स्क्वॉड के सदस्यों का विवरण निम्नान्सार है: -

The following members are involved in Anti Ragging Squad.

क्रमांक / S.N.	अधिकारी का नाम / Name of Official	पद /Designation	स्थिति/ Status	संपर्क विवरण/ Contact No.
1.	श्री विनीत सिंघल	वरिष्ठ अधिकारी (वित एवं लेखा)	सदस्य	9045846045
2.	श्री अक्षय खटोड	सहायक तकनीकी अधिकारी	सदस्य	9595828627
3.	श्री महेश कुमार टुडु	तकनीशियन ग्रेड II	सदस्य	7991075474
4.	श्री रजनीश प्रसाद पाण्डेय	व्याख्याता	सदस्य	8966000083
5.	सुश्री पुष्पलता साहू	बालिका छात्रावास वार्डन प्रभारी	सदस्य	7999698228

इन्हें समय-समय पर अचानक निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और आवश्यक कार्रवाई के लिए एंटी रैगिंग कमेटी के अध्यक्ष को अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

They are directed to conduct periodical raids and submit their finding to the Chairman of the Anti-Ragging Committee for necessary action.

प्रधान निदेशक एवं प्रमुख/

Principal Director & Head

प्रतिलिपि:-

- 1. सभी संबंधित अधिकारी / All concerned official
- 2. सभी विभागाध्यक्ष / All Head of the Department
- 3. प्रशासनिक विभाग / Administration Department